86

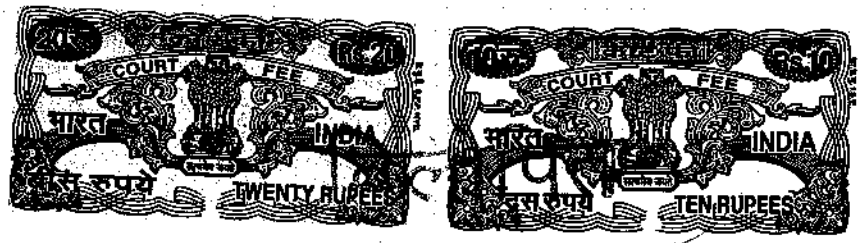

निग-551-II-16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

1. ठाकुरदास तनय बन्ना काछी
2. अयुध्या तनय बिन्दा काछी
3. तुलसी तनय बिन्दा काछी
4. मूलचन्द्र तनय बिन्दा काछी
5. गुन्दा तनय बन्ना काछी
6. रामप्रसाद तनय स्व. घनश्याम काछी
7. नवलकिशोर तनय स्व. घनश्याम काछी
8. भुमानदीन तनय स्व. घनश्याम काछी
9. बिहारीलाल तनय स्व. घनश्याम काछी
10. वंशिया तनय हरजुवा काछी
11. रामदास तनय बटूवा काछी
12. बृजलाल तनय बटूवा काछी
13. शिवचरन तनय बटूवा काछी
14. बुद्वप्रकाश तनय जगुवा काछी

निवासी ग्राम धामची मजरा कटरा तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. परमा तनय गनेश काछी
2. नंदकिशोर तनय गनेश काछी

निवासी ग्राम धामची मजरा कटरा तह. व जिला छतरपुर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

XXXIX(a)-BR(H)-11

1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-551/II/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	1— प्रकरण का आवलोकन किया एवं आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 254/अ—6 अ/14—15 मे पारित आदेश दिनांक 18/1/16 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 115,116 के अंतर्गत अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र विवादित भूमि के रिकार्ड सुधार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा आवेदकगण द्वारा अपनी अपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अमान्य किए जाने पर आवेदकगण द्वारा एक निगरानी इस न्यायालय (राजस्व मंडल ग्वालियर) के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें तत्कालीन सदस्य द्वारा दिनांक 23/6/14 को निर्देश सहित अपना आदेश पारित किया गया था जिसके आधार पर नायब तहसीलदार महेवा द्वारा प्रकरण पुनः प्रारंभ कर इस न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना अपना अंतिम आदेश पारित किया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उनके द्वारा भी उक्त आदेश की आवेलहना कर अपना आदेश पारित किया है इस कारण यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। 3— आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के तत्कालीन सदस्य द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आदेश की कंडिका 5 में निकाले गए निष्कर्षानुसार निराकरण किया जावे। परंतु विचारण व अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश व निर्देश का पालन किए बिना अपना आदेश पारित किया गया है। जिस कारण उक्त आदेशों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश, प्रस्तुत दस्तावेज एंव इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। राजस्व मंडल ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 779—दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 23/6/14 में कंडिका 5 में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आदेश दिनांक	

[कृ. प. उ.

र 551-दो/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	15/5/1961 द्वारा नामांतरण एंव नामांतरण पंजी क्र 5 पर आपसी सहममि के आधार पर बंटवारा किया गया है तब ऐसी प्रविष्टियों को फर्जी होना नहीं माना जा सकता है। नायब तहसीलदार महेवा को उक्त प्रविष्टियों की जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश तत्कालीन सदस्य द्वारा अपने आदेश द्वारा दिए गए थे, किन्तु नायब तहसीलदार उक्त निर्देशों की आवेलहना करते हुए आदेश पारित किया है जो मैं वैध नहीं पाता हूँ। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/1/16 एंव नायब तहसीलदार महेवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/8/15 निरस्त किए जाते है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार महेवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय (राजस्व मंडल ग्वालियर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/6/14 का पालन करते हुए प्रकरण का पुनः निराकरण करें तथा राजस्व अभिलेख पूर्वानुसार रखा जावे। तदानुसार यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	